



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241695
CG-DL-E-05012023-241695

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2023/पौष 15, 1944

No. 41]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2023/PAUSHA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

का.आ. 44(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 340(अ) तारीख 25 जनवरी, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में NH-58 (नया NH-334), मुज़फ्फरनगर-हरिद्वार खंड के कि.मी. 152.000 से कि.मी.210.620 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 26 फरवरी, 2022 " को "अमर उजाला " और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में NH-58 (नया NH-334) मुज़फ्फरनगर-हरिद्वार खंड के कि.मी. 152.000 से कि.मी.210.620 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: उत्तराखण्ड		जिले का नाम: हरिद्वार			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रूड़की				
	गांव का नाम: लादपुर खुर्द				
1	163	निजी	गैर-कृषि	0.04	राजेश कुमार नरेश कुमार पुत्रगण स्व० वेदपाल विनय कुमार वैभव कुमार पुत्रगण स्व० विनोद कुमार संतोष पत्नी स्व० विनोद कुमार धीरेन्द्र कुमार प्रमोद कुमार करमवीर सिंह पंकज कुमार पुत्रगण स्व० यशपाल सिंह एनिल कुमार सुनील कुमार मुकुल कुमार संजय कुमार महाराज सिंह पुत्रगण स्व० वेदपाल (163)
			कुल	0.04	

[फा. सं. NHAI/BOT/11013/03/2007/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2023

S.O. 44(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S. O. 340(E) dated 25th January, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-58 (renamed as NH-334) on the stretch of land from Km 152.000 to Km 210.620 in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Times of India” both dated 26th February, 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Muzaffarnagar-Haridwar section of NH-58 (renamed as NH-334) on the stretch of land from Km. 152.000 to Km. 210.620 in the district of HARIDWAR in the State of UTTARAKHAND.

State: UTTARAKHAND			District: HARIDWAR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Roorkee				
	Village: Ladpur Khurd				
1	163	Private	Non-Agriculture	0.04	Rajesh Kumar, Naresh Kumar S/o Late Vedpal, Vinay Kumar, Vaibhav Kumar S/o Late Vinod Kumar, Santosh W/o Vinod Kumar, Dharendra Kumar, Pramod Kumar, Karamveer Singh, Pankaj Kumar S/o Yashpal Singh, Anil Kumar, Sunil Kumar, Mukul Kumar, Sanjay Kumar, Maharaj Singh S/o Late Vedpal 163
			TOTAL	0.04	

[F. No. NHAI/BOT/11013/03/2007/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director